न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय आबूरोड
बइजलास शंकर लाल मीना,आर0ए0एस0

प्रार्थीः– 1. पृथ्वी सिंह पुत्र भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी सा0 देह खातेदार तहसील आबूरोड व अन्य

बनाम

अप्रार्थीः– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आबूरोड जिला–सिरोही राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 54/2024

दिनांकः– 16/12/2024

:: निर्णय ::

यहकि प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर कथन किया कि मौजा क्यारिया मे हमारी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 296/1, 296/2, 288/1, 288/2, 288/3, 287/1 व 287/2 आई हुई है। जिसका ऑनलाईन भू–नक्शा, मूल राजस्व नक्शा व न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर आबूपर्वत के राजस्व वाद संख्या 40/2012 मे निर्णय दिनांक 17.09.2013 के संलग्न राजस्व नक्शा अनुसार नही है। जिसे उक्त निर्णय के संलग्न अनुमोदित राजस्व नक्शा अनुसार वर्तमान सेग्रीगेशन के दौरान ऑन लाईन नक्शे मे हुई अशुद्धि को दुरूस्त करवाने का कथन किया है।

मैने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी से जवाब तलब किया। तहसीलदार आबूरोड ने जरिये पत्रांक 5049 दिनांक 11.12.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर मौजा क्यारिया के खसरा संख्या 296/1, 296/2, 288/1, 288/2, 288/3, 287/1 व 287/2 के ऑन लाईन भू नक्शा, श्रीमान सहायक कलेक्टर आबूपर्वत के न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 40/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 17.09.2013 अनुसार नही होने से पुनः श्रीमान सहायक कलेक्टर आबूपर्वत के निर्णय दिनांक 17.09.2013 के संलग्न अनुमोदित राजस्व भू नक्शा एवं मौके पर कब्जा काश्त अनुसार भू राजस्व नक्शा की दुरूस्ती का कथन किया है।

मैने प्रकरण एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट होने से माफिक स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1260 दिनांक 12.04.2014 अनुसार एवं राजस्थान सरकार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर पत्रांक राम/डीआईएलआरएमपी/ प–126/ 2021/3685 दिनांक 06.10.2021 कीअनुपालना मे मौजा क्यारिया के खसरा संख्या 296/1, 296/2, 288/1, 288/2, 288/3, 287/1 व 287/2 की कृषि भूमि के भू राजस्व नक्शे मे ऑन लाईन हुई अशुद्धि को श्रीमान सहायक कलेक्टर आबूपर्वत के निर्णय दिनांक 17.09.2013 के संलग्न अनुमोदित राजस्व भू नक्शा एवं मौके पर कब्जा काश्त अनुसार भू राजस्व नक्शा की दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार आबूरोड उपरोक्तानुसार इस निर्णय के संलग्न तस्दीकशुदा भू नक्शा अनुसार नक्शा को दुरूस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shankar Lal Meena
Date: 2025.01.28 12:27:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय आबूरोड

क्रमांक/कोर्ट/2024/ 2619 दिनांकः– 17.12.24

तहसीलदार आबूरोड को पालनार्थ प्रेषित हैं।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय आबूरोड